राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण ा का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अपीलार्थी, प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थी के अभिभाषक का नाम
1.	2923/2021	मंजू लता शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायतीराज (चिकित्सा), जयपुर। 3. संयुक्त सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर। 4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परबतसर, नागौर। 5. बेबी टीके, ए.एन.एम उपकेन्द्र, किनसरिया, परबतसर, नागौर।	श्री अनशुमान सक्सेना, अभिभाषक श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
2.	3652/2022	बेबी टीके	1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर। 4. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परबतसर, नागौर। 5. मंजू लता राठौड़ एएनएम, आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

आदेश की दिनांक :11.11.2022

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई। अपीलवार स्थिति निम्नानुसार हैः–

अपील संख्या 2923/2022 मंजू लता राठौड़

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र, किनसरोया, परबतसर, नागौर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.07.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी का उप केन्द्र, खिदरपुरा, परबतसर, नागौर से आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय जयपुर में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय से उपकेन्द्र, किनसरोया, परबतसर, नागौर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के स्थान

पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण उपकेन्द्र किनसरीया, परबतसर, नागौर से उपकेन्द्र अरठ, परबतसर, नागौर में रिक्त पद पर किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 29.08.2022 (अनुलग्नक–6) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2022 के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 3652/2022 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 द्वारा स्थगन प्रदान करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.09.2022 द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को उपकेन्द्र, किनसरोया, परबतसर, नागौर में कार्यभार ग्रहण करवा लिया। इस प्रकार एक ही पद पर दो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत हो गये। प्रत्यर्थी संख्या–4 के आदेश दिनाक 20.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष हो जाने के फलस्वरूप मध्यान्ह पश्चात कार्यमुक्त कर उपस्थिति निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में दिए जाने के निर्देश दिए। अपीलार्थी को बिना कोई कारण बताए कार्यमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2022 (अनुलग्नक–1) पर स्थगन प्रदान किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र, किनसरोया, परबतसर, नागौर में कार्य करने दिया जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा संशोधित अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सब सेन्टर खिदरपुरा, परबतसर, नागौर से आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय जयपुर में किया गया था तथा अपीलाथी ने सब सेन्टर खिदरपुरा, परबतसर, नागौर में रहने हेतु प्रार्थना की थी। परन्तु अपीलार्थी स्वयं द्वारा उक्त आदेश के क्रम में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण कर लिया तथा अपीलार्थी की उक्त मूल निरर्थक हो चुकी है तथा आदेशों की प्रतीक्षा में अपीलार्थी के कार्यग्रहण के पश्चात् आदेश दिनांक 25.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेशों की प्रतीक्षा से प्रत्यर्थी संख्या–5 के स्थान पर किया गया था। जिसको प्रत्यर्थी संख्या–5 ने अपील संख्या 3652/2022 में चुनौती दे रखी है। इसलिए अपीलार्थी की मूल अपील के अनुसार सब सेन्टर खिदरपुरा, परबतसर, नागौर के लिए कोई अनुतोष शेष नहीं है। इसलिए अपीलार्थी को अगर कोई नया वाद कारण उत्पन्न हुआ है, तो नियमानुसार नई अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उक्त दोनों अपीलों के अपोलार्थीगण, प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उक्त दोनों पत्रावलियों में उपलब्ध रिकॉर्ड से यह तथ्य सामने आता है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 20.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी का पदस्थापन प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय से सब सेन्टर किनसरिया, परबतसर, नागौर में प्रत्यर्थी संख्या–5 के स्थान पर किया गया है। इसी आदेश दिनांक 25.08.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण सब सेन्टर किनसरिया, परबतसर, नागौर से सब सेन्टर अरठ, परबतसर, नागौर में किया गया था जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3652/2022 प्रस्तुत किए जाने पर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 16.09.2022 से स्थगन आदेश जारी किया गया। उक्त स्थगन आदेश वर्तमान में भी प्रभावशील है। अतः अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 16.09.2022 के वर्तमान में भी प्रभावशील रहने के कारण अपीलार्थी के इसी स्थान एवं पद पर पदस्थापन किए जाने के संबंध मे जारी आदेश दिनांक 25.08.2022 (अनुलग्नक–5) के संबंध में पुनर्विचार कर उचित निर्णय लेना होगा। आलोच्य आदेश दिनांक 20.09.2022 (अनुलग्नक–1) में समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलार्थी को निदेशालय के लिए कार्यमुक्त किया गया। उक्त आलोच्य आदेश विस्तृत एवं सकारण है। अतः इसमें हस्तक्षेप किये जाना आवश्यक एवं उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है।

उक्त आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 2923/2021 में एवं आदेश की प्रतिलिपि उपर्युक्त शीर्षक टेबिल में अंकित अपील संख्या 3652/2022 में संलग्न की जावें। अपील संख्या 3652/2022 नियत तिथि पर अपील की पत्रावली में दिए गए पूर्व आदेशानुसार प्रस्तुत हो।

आदेश आज दिनांक.............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य